उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

'पिकप भवन' तृतीय तल, बी–ब्लाक, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ

(8)

संदर्भ संख्या F95815 / सी-१/एन०ओ०सी०/जी-६१६/२०११ दिनांक 8/12/11

सेवा में,

मे0 मैसर्स महामुन रियल इस्टेट प्रा० लि०,
ए-१९, सेक्टर-६३,
नोयडा- उत्तर प्रदेश

विषय : पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से /नई इकाई की स्थापना हेतु/ ~~कार्यरत इकाई की उत्पादन क्षमता में बिस्तार /संयंत्रों के नवीनीकरण हेतु~~ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनाँक शून्य का संदर्भ लें। आपके आवेदन पर विचार किया गया है तथा कृपया अवगत हो कि उद्योग को पर्यावर्णीय प्रदूषण के दृष्टिकोण से निम्नलिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों (संलग्नक) के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

1. अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित विशिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है :–

   (क) स्थल : खसरा नं० ८३९,८४०,८४१,८५३,८५४,८५५,१०३८ एवं १०३९ ग्राम महरौली, जिला-गाजियाबाद

   (ख) उत्पादन : भूखण्ड क्षेत्रफल-५४६३० वर्गमीटर, बिल्टअप क्षेत्रफल ११६५११.७४ में आवासीय परियोजना

[illegible]

(घ) औद्योगिक उत्प्रवाह की मात्रा : शून्य

(ड.) प्रयुक्त ईंधन : ३८० के०वी०ए० के एक एवं ५०० के०वी०ए० के ४ डी०जी०सेट हेतु डीजल आवश्यतानुसार

उपर्युक्त विषय वस्तु में किसी भी प्रकार से परिवर्तन करने पर पुनः अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

2. उद्योग में सभी आवश्यक यंत्र, संयंत्र, हरित पट्टिका, उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना में की गयी प्रगति रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रत्येक माह की दसवीं तारीख तक निरंतर प्रेषित करें।

3. उद्योग इकाई में परीक्षण उत्पादन तब तक प्रारम्भ नहीं करें जब तक कि वह बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति प्राप्त न कर लें। जल एवं वायु सहमति प्राप्त करने हेतु इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से कम से कम 2 माह पहले निर्धारित सहमति आवेदन पत्रों को उत्पादन पूर्व प्रथम आवेदन का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय में अवश्य ही जमा कर दिया जाए। यदि उद्योग उपरोक्त का अनुपालन नहीं करता है तो उक्त अधिनियमो के वैधानिक प्राविधानों के अर्न्तगत उद्योग के विरूद्ध बिना किसी पूर्व सूचना के विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

5. घरेलू उत्प्रवाह, जिसकी मात्रा ......३९५ किलोलीटर/दिन...... से अधिक नहीं होगी। ~~सेप्टिक टैंक~~ एवं STP ~~सोक पिट~~ के माध्यम से बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप शुद्धिकृत कर निस्तारित किया जाए।

6. प्रदूषण नियन्त्रण हेतु प्रस्तावित शुद्धिकरण संयंत्र तथा निर्माण कार्य आपूर्ति के लिये दिये गए आदेश की प्रति इस कार्यालय में दिनांक ......३०/६/२०१२...... तक अवश्य प्रस्तुत की जाए।

७– मैसर्स महागुन रियल इस्टेट प्रा० लि०, द्वारा प्रस्तावित आवासीय परियोजना खसरा नं० ८३६,८४०,८४१,८५३,८५४,८५५,१०३८ एण्ड १०३६, ग्राम महरौली, जिला– गाजियाबाद द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल ५४६३० वर्गमीटर बिल्टअप एरिया ११६५११.७४ पर आवासीय परियोजना की स्थापना की जाये।

८– संस्था द्वारा परियोजना से जनित कुल घरेलू उत्प्रवाह ३६५ घनमीटर/दिन के शोधन हेतु ७३० घनमीट/दिन क्षमता के एस०टी०पी० की स्थापना की जाये तथा शुद्विकृत उत्प्रवाह को यथासंभव सिंचाई, फ्लशिंग एवं डी०जी० सेट कूलिंग हेतु प्रयुक्त किया जाये। शेष शुद्विकृत उत्प्रवाह को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित सीवर लाइन/अन्तिम निस्तारण बिन्दु तक स्वंय की पाइप लाइन द्वारा इस प्रकार निस्तारित किया जाये कि जल भराव की समस्या न रहें।

९– संस्था द्वारा सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रबन्धन बायोकम्पास्टिंग एवं रिसाइकलिंग द्वारा प्रस्तावों के अनुरूप किया जाये।

१०– समस्त प्रस्तावित डी०जी०सेट पर ध्वनि रोधक व्यवस्थाओं के साथ–साथ बोर्ड मानको के अनुसार पर्याप्त ऊँचाई की चिमनी भी स्थापित की जायें।

११– संस्था प्रस्तावनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था स्थापित करें।

१२– संस्था नियमानुसार कम से कम ३३ प्रतिशत कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का हरित पट्टिका के रूप में विकसित करें।

१३– संस्था को यह अनापत्ति प्रमाण पत्र जल अधिनियम, १६७४ एवं वायु अधिनियम,१६८१ के प्राविधानों के अर्न्तगत निर्गत किया जा रहा है।

१४– संस्था द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार/स्टेट इन्वायरमेन्ट इम्पेक्ट असेसमेन्ट अर्थोरिटी से पर्यावरणीय कलीरेन्स प्राप्त किया जाये।

१५– संस्था को निर्गत बैंक गारण्टी का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिशचित करें, अनुपालन न करने की दशा में संस्था द्वारा प्रेषित बैंक गारण्टी बोर्ड के पक्ष में अवमुक्त करा ली जायेगी एवं अधिनियमो के तहत कार्यवाही भी की जा सकती है।

१६– अनापत्ति प्रमाण पत्र की वैधता ५ वर्ष या बैक गारन्टी की वैधता तिथि से एक वर्ष पूर्व तक जो कम हो मान्य होगी।

कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त लिखित विशिष्ट शर्तों एवं सामान्य शर्तों का प्रभावी एवं संतोषजनक अनुपालन न करने पर बोर्ड द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। बोर्ड का अधिकार सुरक्षित है कि अनापत्ति की शर्तों में संशोधन किया जाय अथवा निरस्त कर दिया जाय। उपर्युक्त विशिष्ट एंव सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक ३०/६/१२ तक प्रथम अनुपालन आख्या अवश्य प्रेषित की जाए। अनुपालन आख्या नियमित प्रेषित की जाए अन्यथा अनापत्ति निरस्त कर दी जाएगी।

भवदीय

सदस्य सचिव

पृष्ठांकन सं. /एन. ओ. सी. तद दिनांक

प्रतिलिपि :

1. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र : गाजियाबाद

2. उपकर अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड : गाजियाबाद

4.

मुख्य पर्यावरण अधिकारी